[ 13/3/2023]

प्रश्न सं. [ क्र. 1719 ]

परिशिष्ट-3

## प्रश्न कमांक–1719 द्वारा श्री बीरेन्द्र रघुवंशी
## पूरक जानकारी

पत्र क्रमांक/पुमु/विसबल/7(9)/प्रशि/ओटीपी नवआर./371/04 दिनांक 10/11/04 के संदर्भ में उमनि, विसबल ग्वालियर द्वारा उनके आदेश क्रमांक/स्था0/ए/2776–ए/04 दिनांक 14/12/2024 के द्वारा 6वीं वाहिनी विसबल जबलपुर में संचालित 82वॉ बुनियादी प्रशिक्षण सत्र में ऑल राउण्ड वेस्ट आने पर 5वीं वाहिनी मुरैना के आरक्षक–19 बृजेश कुमार सिंह को विशेष सशस्त्र बल नियम–1973 की पैरा (58) के तहत आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई थी।

आरएपीटीसी इन्दौर में दिनांक 01/11/04 से 26/11/05 तक नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र 24वॉ की दीक्षान्त परेड दिनांक 26/11/2005 के अवसर पर माननीय गृह राज्य मंत्री श्री जगदीश देवड़ा म0प्र0 शासन द्वारा बुनियादी प्रशिक्षण में सर्वश्रैष्ठ नव आरक्षक 406 गिरेजश सिंह रघुवंशी 18वीं वाहिनी विसबल शिवपुरी को सर्वश्रैष्ठ नव आरक्षक का कप तथा प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा राशि रु0 5,000/– नगद से पुरुष्कृत किया गया था।

21/2/23

उप पुलिस अधीक्षक
वि. स. बल (मु.)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

परिशिष्ट-01

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

# THE MADHYA PRADESH VISHESH SASHASTRA BAL ADHINIYAM, 1968

# मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल अधिनियम, १९६८

---

# THE MADHYA PRADESH VISHESH SASHASTRA BAL NIYAM, 1973

# मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल नियम, १९७३

(Act came into force from 1st December, 1974 *Vide* Notification No. 6377-77355-II-B-(i), dated 25th November, 1974, Published in M. P. Gazette, Part I Page 1876, dated 29-11-1974)

---

INDORE
Govt. Regional Press
1975

21/2/23
उप पुलिस अधीक्षक
वि. स. बल (पु.)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

उप पुलिस अधीक्षक
वि. स. बल (पु.)
पुलिस मुख्यालय भोपाल

(५) उपयुक्तता सूचियों को प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित किया जायगा और उन व्यक्तियों के नाम, जिनके बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट हो, सूची में से निलंबित किये जा सकेंगे ।

५७. पदोन्नतियों की शक्तियों का प्रयोग, पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा किया जायगा । मध्यप्रदेश पुलिस रेग्युलेशन्स के रेग्युलेशन ५२ में विहित की गई पदोन्नतियों की शक्तियों का प्रयोग पुलिस उप- महा निरीक्षक के द्वारा किया जा सकेगा ।

५८. नव सैनिक कांस्टेबिल की पदोन्नति.— पुलिस उप-महा निरीक्षक किसी ऐसे नव-सैनिक कांस्टेबिल को जो किसी प्रशिक्षण बटालियन में अपने प्रशिक्षण की समाप्ति पर ली गई परीक्षा में प्रथम आता है, नायक या हेड कांस्टेबिल के ओहदे पर पदोन्नत कर सकेगा यदि वह उसे ऐसी पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझे ।

## अध्याय तेरह—निरीक्षण

५९. निरीक्षण.— (१) पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अपर महानिरीक्षक, पुलिस उप महा निरीक्षक, उसके अधीन प्रत्येक बटालियन का निरीक्षण प्रति वर्ष कम से कम एक बार करेगा, तथा सामान्यतः उसके (बटालियन के) कार्य, कार्य क्षमता, प्रशिक्षण, मनोबल, अनुशासन, वस्त्रों, साज-सज्जा, शस्त्र तथा गोला बारूद कल्याणकारी क्रियाकलाप, लेखाओं की दशा तथा ऐसे किसी अन्य विषय के बारे में टिप्पणी देगा, जो कि वह आवश्यक समझे ।

(२) परिक्षेत्रीय अधिकारी, आदेशक तथा सहायक आदेशक अपने कार्यालयों तथा प्रत्येक कम्पनी या प्लाटून का निरीक्षण प्रति वर्ष कम से कम एक बार करेंगे, और यह पता लगायेंगे कि विभिन्न अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार से किया गया तथा जहां आवश्यक हो वहां सुधार करने हेतु कार्यवाही करेंगे ।

(३) जब प्लाटून की या उससे अधिक संख्या की किसी सब-यूनिट को मुख्यालय से बाहर पदस्थ किया जाय तब संबंधित सहायक आदेशक तीन माह में कम से कम एक बार तथा कम्पनी कमाण्डर प्रत्येक माह में कम से कम एक बार निरीक्षण करेगा । कम्पनी मुख्यालय पर स्थित किसी प्लाटून का निरीक्षण कम्पनी कमाण्डर द्वारा तीन माह में कम से कम एक बार किया जायगा ।

(४) जब प्लाटून संख्या से कम संख्या की कोई सब-यूनिट कम्पनी मुख्यालय से बाहर पदस्थ की गई हो तब उसका निरीक्षण कम्पनी कमाण्डर द्वारा एक माह में कम से कम एक बार तथा प्लाटून कमाण्डर द्वारा सप्ताह में एक बार किया जायगा ।

६०. निरीक्षणों के संबंध में अनुदेश.— इन निरीक्षणों के दौरान, निरीक्षणकर्ता अधिकारी यह पता लगायेंगे कि क्या बल के समस्त सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन समाधान पूर्ण रीति से कर रहे हैं क्या कैम्प तथा सब-यूनिट के प्रकार में की सम्पत्ति की सुरक्षा के प्रबन्ध समाधान पूर्ण हैं, क्या मनोबल, अनुशासन तथा प्रशासन की दशा समाधान पूर्ण है और क्या यूनिट के कमाण्डर को अपने सैनिकों का विश्वास प्राप्त है और उसने उनके कल्याण की ओर ध्यान दिया है ? वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि क्या जिला पुलिस के साथ समुचित सहयोग तथा समन्वय है और पुलिस तथा जन-साधारण के संबंध अच्छे है । उन्हें पुलिस बल के उनके समरूप अधिकारियों के साथ मिलना चाहिये । तथा विशेष सशस्त्र बल के सामने की पारस्परिक समस्याओं तथा कठिनाईयों के बारे में चर्चा करनी चाहिये । उन्हें जब कभी आवश्यक हो, किन्हीं विषयों में शोधन तथा सुधार करने के हेतु तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये तथा अपने प्रकृष्ट अधिकारियों के ध्यान में तथ्यों को लाना चाहिये ।

21/2/23
उप पुलिस अधीक्षक
वि. स. बल (पु.)
पुलिस मुख्यालय

उप पुलिस अधीक्षक
वि. स. बल (पु.)
पुलिस मुख्यालय भो